

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

CIN:U40109RJ2000SGC016486

पंजीकृत कार्यालय विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर-302005

Website: www.jaipurdiscom.com

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई.)

पुराना पावर हाऊस, राम मन्दिर के पास, बनीपार्क जयपुर

(फोन नं. 0141-2200334, फैक्स नं. 0141-2202241)

E-Mail : serejvnl@yahoo.co.in

क्र. जे.पी.डी./अति.मु.अ.(पी.पी.एम) /अधी.अभि.(आर.ई)/ अधि.अभि.(II)/प. /प्रे. जयपुर 787 दि 18/9/18

आदेश

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कृषि कनेक्शन जारी करने के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 दो लाख कृषि कनेक्शन जारी किये जाने का लक्ष्य के क्रम में पूर्व में आदेश क्रमांक 225 दिनांक 19.02.18 (आर.ई.ओ. 273) जारी किया गया। उक्त आदेश में तृतीय चरण में बून्द-बून्द / फव्वारा / डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति, तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र (किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति) के अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग श्रेणी के दिनांक 30.06.2018 के बाद पंजीकृत आवेदकों के मांग पत्र माह अगस्त 2018 में व आगामी अवधि जारी किये जाने का प्रावधान किया गया था।

तत्पश्चात् आर.ई.ओ. 275 दिनांक 07.03.18 में बून्द-बून्द / फव्वारा / डिग्गी योजना में पंजीकृत आवेदनों के मांग पत्रों को जारी करने में समयावधि की बाध्यता को समाप्त कर इस योजना में पंजीकृत आवेदनों के मांग पत्र व कनेक्शन, कृषि कनेक्शन नीति- 2017 के प्रावधानों के अनुरूप तुरन्त प्राथमिकता पर जारी किये जाने का प्रावधान किया गया।

आर.ई.ओ. 278 दिनांक 17.05.18 में द्वितीय चरण में अनुसूचित जाति, तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र (किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति) के अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग श्रेणी के दिनांक 01.02.2018 से 15.06.2018 तक पंजीकृत आवेदकों के मांग पत्र पूर्व निर्धारित समयावधि दिनांक 01.07.2018 से 15.07.2018 के स्थान पर दिनांक 16.06.2018 से 20.06.2018 तक नियमानुसार जारी किये जाने का प्रावधान किया गया।

उक्त संदर्भ में अब यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति, तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र (किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति) के अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग श्रेणी के दिनांक 16.06.18 से 30.09.18 तक पंजीकृत आवेदकों के मांग पत्र दिनांक 30.09.18 तक जारी कर दिये जावे एवं माह अक्टूबर से उक्त श्रेणियों में पंजीकृत आवेदकों के मांग पत्र तुरन्त प्राथमिकता पर जारी किये जावेगे।

सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम कार्यवाही करें।

यह आदेश तीनों विद्युत वितरण निगमों पर लागू होगा।

आदेशानुसार

18/9/18

(वी.डी. बंसल)

अति. मुख्य अभियन्ता (पी.पी.एम)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 अति. /मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/एम.एम. /ट्रेनिंग एव सुरक्षा सीएसएस/पवस) अ.वि.वि.नि. लि., अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू
- 2 मुख्य लेखाधिकारी (ए.एण्ड.आर/ई बी टी./ आई.ए.-डब्ल्यू एण्ड एम.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 3 सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर ।
- 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 5 अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम./टी.डब्ल्यू/एम.एण्ड.पी/वाणिज्य/डी.डी.यू.जी.जे.वाय./सर्तकता), अ.वि.वि.नि.लि अजमेर ।
- 6 अधीक्षण अभियन्ता (आई टी), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 7 अधीक्षण अभियन्ता (पवस)/ ए.सी.सी./ए.डी.सी./भीलवाडा/नागौर/झुंझुनू/सीकर/बांसवाडा/झूंगरपुर/चित्तौड़गढ़ /प्रतापगढ़/राजसमन्द/उदयपुर ।
- 8 कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 9 प्रावैधिक सहायक-माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
- 10 प्रावैधिक-सहायक, प्रबन्ध निदेशक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 11 प्रावैधिक-सहायक, निदेशक (तकनीकि), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 12 अधिशाषी अभियन्ता (ग्रिवेन्सेज/लीगल), अ.वि.वि.नि.लि, अजमेर
- 13 अधिशाषी अभियन्ता (.....) अ.वि.वि.नि.लि.,.....
- 14 सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु ।
- 15 सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 16 निजी सचिव, निदेशक (वित्त), अ.वि.वि.नि.लि, अजमेर
- 17 प्रबन्धक, टी.पी.ए.डी.एल, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेचाईजी (अजमेर सिटी) वैशाली नगर, अजमेर।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)